न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

श्री नाना पिता हजरा मीणा बनाम श्री नाना पिता नगजी मीणा वगैरह

पत्रावली संख्या-- 08 / 2020

किस्म मुकदमा धारा 39 रूल 01 व 02 सपठित धारा 151 जा.दी. व 212 भू.राज.अधि.

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनायें जारी की गई
	दिनांक 11.06.2024 को पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त हिस्से खाते कब्जे काश्त की आराजी मौजा गडागोकल के खाता सं. 66/61 के वादग्रस्त खसरा सं. में वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं करें, काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें, न ही किसी अन्य को विक्रय करें एवं प्रार्थी के हिस्से में निर्माण कार्य न करे और न ही ऐसा कृत्य करें, जिससे कि प्रार्थीगण के चले आ रहे स्वामित्वाधिकारों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचे, ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य ठेकेदार, मजदुर या अपने परिवार के सदस्य से करावे। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गयी। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजी है। प्रथमदृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसे में रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विवेधता बढ़ेगी तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दोनों पक्षों को पाबंद किये जाते हैं कि मौजा गडागोकल में वादग्रस्त खसरे की भूमि मे दोनों पक्ष मूल वाद के फैसले तक एक-दूसरे के कब्जेशुदा भूमि मे किसी प्रकार से अतिक्रमण, निर्माण कार्य न करें, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से की भूमि में काश्त करें एवं एक-दूसरे को काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें, वादग्रस्त भूमि विक्रय अथवा बक्शीश न करें एवं और ऐसा कृत्य, जिससे कि दोनों पक्षों के स्वामित्वाधिकारों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचे, न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य ठेकेदार, मजदुर या अपने परिवार के सदस्य से करावें। ऐसे में दोनों पक्षों को रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली में मूल वाद के फैसले तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा	